

न्यायालय कलेक्टर श्री अध्यक्ष जिला नजूल भूमि निर्वर्तन
समिति जिला रत्नलाम (म0प्र0)

0104 / 31-20(3) / 2021-22
RCMS प्रकरण क्रमांक

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री आवेदक
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल
विरुद्ध अनावेदक
- मध्यप्रदेश शासन

:: आदेश ::

(पारित आदेश दिनांक 23/09/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रत्नलाम के द्वारा म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश - 2020 के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम कुआँझागर तालाब योजना के डुब में आ रही 20.512 हेठो वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण की जाना प्रस्तावित की गई।

2— प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कांडिका— 13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा में प्रकरण में तहसीलदार पिपलोदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.04.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश-2020 की कांडिका-48 (2अ) के अनुसार अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सचिव ग्राम पंचायत कंसर के द्वारा दिनांक 28.04.2022 में कुआँझागर तालाब परियोजना के एवज में ग्राम कंसर की भूमि 20.512 हेठो भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में अनुपत्ति होने का लेख है, एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर या ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13 (1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है। भूमि शहमशान/कब्रस्तान/मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सड़क, पगड़ंडी मार्ग नहीं है, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं है। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी वरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। कुआँझागर तालाब परियोजना एवज में ग्राम कंसर की भूमि 24.51 में से 20.512 हेठो भूमि वन विभाग हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी के पत्र क्रमांक 4391/मा0चि0/2002 रत्नलाम दिनांक 03/12/2020 के द्वारा ग्राम कुआँझागर तालाब निर्माण में 20.512 हेठो वन भूमि प्रभावित होने के एवज में ग्राम कंसर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि रक्षा 24.51 हेठो में से 20.512 हेठो शासकीय भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु सहमति दी गई है।

3— प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रत्लाम के द्वारा नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेड़ा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब परियोजना के तहत पूर्व में कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख रत्लाम के आदेश क्रमांक 733/भूआ०/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 से नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेड़ा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हेठो उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रत्लाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि क्रमशः 14.22, 15.00 हेठो कुल किला 2 कुल रकबा 29.22 हेठो के स्थान पर हेक्टर पर ग्राम कंसर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हेठो एवं सर्वे क्रमांक 118/3 रकबा 16.40 हेठो में से रकबा 1.57 हेठो कुल किला 2 कुल रकबा 22.00 हेठो भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की जाने से शेष भूमि 24.51 हेठो में से कुँआझागर तालाब परियोजना एवज में 20.512 हेठो भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष शासकीय भूमि रकबा 3.998 हेठो भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4— मप्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा कुँआझागर तालाब परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि डुब में आते से उसके एवज में ग्राम कंसर की भूमि 24.51 हेठो में से कुँआझागर तालाब परियोजना के एवज में 20.512 हेठो भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष भूमि का 3.998 हेठो भूमि को पुनः शासकीय अंकित किये जाने की स्वीकृति कंडिका-14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 02/06/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अभिमत के आधार पर एवं कलेक्टर भू-अभिलेख रत्लाम के आदेश क्रमांक 733/भूआ०/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 आदेशानुसार नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेड़ा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हेठो भूमि उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रत्लाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 से पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि क्रमशः 14.22, 15.00 हेठो कुल किला 2 कुल रकबा 29.22 हेठो के बदले में ग्राम कंसर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हेठो एवं सर्वे क्रमांक 118/3

रकबा 16.40 हेठो में से रकबा 1.56 हेठो कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हेठो भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की गई जाने से ग्राम कंसोर की भूमि 24.51 हेठो शेष रही भूमि में से ग्राम कुआँझागर तालाब परियोजना अन्तर्गत वन विभाग की भूमि डुब में आने से वन भूमि के बदले रकबा 20.512 हेठो भूमि को M0प्र० नजूल भूमि निवैतन निर्देश-2020 के अध्याय-2 की कंडिका (16) के तहत M0प्र० शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आवद्ध रेखांक चिह्नित की गई हैं, जिसे नक्शे में लालस्याही से अंकित किया गया है तथा शेष भूमि रकबा 3.998 हेठो भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका 17 के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।
2. भूमि का उपयोग कंडिका 18 (1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।
3. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

Abir
(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष जिला कार्यपालक निवैतन समिति
जिला रत्लाम (म.प्र.)

W/L
B
३५७७ प० क्रमांक 3577, रीडर-1/2022

रत्लाम, दिनांक 26/9/2022

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल।
3. प्रमुख अधियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा।
6. जिला वनमण्डल अधिकारी, जिला रत्लाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. नजूल अधिकारी, रत्लाम।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रत्लाम की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार पिपलोदा की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि, आदेशानुसार आंवटित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य जिला वनमण्डल अधिकारी जिला रत्लाम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में अमल दरामद किया जाकर कब्जा रशीद सहित प्रकरण वापस लोटावे। साथ हि मोजा पटवारी शेष भूमि को राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित करे।

पृ. कृत्तमा क्रमांक 2428, कार्यपालक निवैतन 2022

रत्लाम दि 10/10/22

Abir
(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर


जिला रत्लाम (म.प्र.)

एवं अध्यक्ष जिला नजूल निवैतन समिति
जिला रत्लाम म.प्र.

B
(प्राप्ति क्रमांक खसरा)

कार्यपालन यंत्री


जल संसाधन संभाग, रत्लाम





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 25008143403



वर्ष: 2025-2026

दिनांक: 19-11-2025 07:00:08

118/3

**118/4
(S)**

118/5

454

455

456

457

458/1

459

461

462

463/1

463/2

460

ब्लॉक सं.:

ग्राम: कन्सैर

हल्का: कंसेर

तहसील: पिपलोदा

ज़िला: रत्लाम

सर्वेक्षण सं.:

118/4(S)

लंबाई: 27.6500(मील.)

भू-राजस्व.: 0.00

भूस्वामी: (शासकीय)

मापांक 1:4000

0 2 4 6 8sec

Digitally signed by DS COMMISSIONER
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST
Reason: Digital Extract of Land Record-
Map Copy
CLR No. : 25008143403

(हस्ताक्षर)



CLR No. : 25008143402

मध्यप्रदेश कम्पूटरीकृत भू-अभिलेख

खातेवार खतोनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कन्सेर		पटवारी हल्का: कन्सेर				तहसील: पिपलोदा				जिला: रतलाम			वर्ष: 2025-2026	
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उपके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्यक्ष खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्यक्ष खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ लाईंक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रूपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्षक	चालू वर्ष की मांग (रूपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रूपयों में)	आदिनांक व्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रूपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रूपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के बौरे शामिल हो (रूपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशेषियां	देय राशि	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
431	(शासकीय)		118/4 (S) 27.6500 हेक्टेयर	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			कुल क्षे. 27.6500 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						
							प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
							योग	0.00						

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1

Date: 2025.11.19 12:33:09 IST

Reason: Digital Extract of Land Record- Khatoni (B1) Copy

CLR No. : 25008143402



CLR No. : 25008143401

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कन्सेर			पटवारी हल्का: कंसेर			तहसील: पिपलोदा		जिला: रतलाम			वर्ष: 2025-2026		
भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक /ब्लॉक की दशा में)	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक /ब्लॉक की दशा में)	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक /ब्लॉक की दशा में)	पटवारी हल्का: कंसेर			प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	मोरुखी कुखक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	भूमि पर विल्लयम तथा प्रभार 1. बंधक 2. इण्डिकॉर 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्लौर		फसल के ब्लौर 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1132284813 81M4B8D80YFKH0	118/4 (S)		27.6500 हेक्टेयर वन विभाग 27.6500 रु. 0.00	(शासकीय)									

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1

Date: 2025.11.19 12:33:09 IST

Reason: Digital Extract of Land Record- Khasra Copy

CLR No. : 25008143401